

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

महोदया, इस संबंध में इलाहाबाद के नागरिकों ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें सैकड़ों नागरिकों के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने इस ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से निवेदन किया था कि इलाहाबाद में एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए जिससे यह समस्या दूर हो सके। मैंने दिनांक 11 फरवरी को राज्यपाल महोदय से स्वयं मिलकर करीब 300 नागरिकों का मांगपत्र उनको दिया था और उनसे निवेदन किया था कि प्रयाग नगर को सिविल लाईन्स से जोड़ने वाला मार्ग जानसेनगंज, निरंजन सिनेमा, सूरजकुंड, फायर ब्रिगेड के चौराहे तक प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे तक बच्चों के स्कूलों एवं कालेजों के लगने के समय तक दोपहर 1 बजे से शाम तक मार्ग अवरुद्ध रहता है और वहां पर रेलवे लाइन के नीचे जो पुल है वह बहुत संकरा है। इसलिए घंटों-घंटों वहां पर मार्ग अवरुद्ध रहता है।

महोदय, इस मांगपत्र से उनसे निवेदन किया गया था कि इस समस्या का एक ही विकल्प है कि एक अन्य ओवर ब्रिज मार्ग (फलाई ओवर) का निर्माण किया जाए जो कि लीडर रोड पर स्टेन्डर्ड होटल के पास मालगोदाम के निकास मार्ग से चढ़कर सिविल लाईन्स की ओर नवाब यूसुफ रोड को रेलवे कालोनी प्रथम मार्ग या द्वितीय मार्ग अथवा अन्य किसी मार्ग द्वारा जोड़ सके। इससे इलाहाबाद नगर की जनता को जो कष्ट है, उससे छुटकारा मिल जाएगा।

माननीय उपसभापति जी, उत्तर प्रदेश में इस समय राज्यपाल का शासन है और राज्यपाल ने मुझे जो उत्तर प्रदेश भेजा है दिनांक 20 फरवरी, 1993 को, उसमें उन्होंने लिखा है कि—

“आपका पत्र दिनांक 11-2-93 प्राप्त हुआ, जिसके साथ आपने श्री अमित कपूर, निवासी-71/68, चौक गंगादास, इलाहाबाद तथा कतिपय अन्य लोगों का हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन संलग्न किया है, जो ओवर ब्रिज मार्ग के निर्माण के संबंध में है”।

मैं जैसा निवेदन कर रहा था कि इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है और उत्तर प्रदेश का जो बजट है वह भी संसद में पेश कर दिया गया है। उस पर अभी बहस होनी है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा केंद्रीय सरकार से निवेदन है कि इलाहाबाद के नागरिकों की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए तुरंत वहां एक नए ओवर ब्रिज का का निर्माण किया जाए जिससे लोगों की जो परेशानी और कष्ट है, वह दूर हो सके। धन्यवाद।

INDEFINITE STRIKE OF LAWYERS IN PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT AND DISTRICT COURTS

SHRI MOHINDER SINGH LATHER (Haryana): Thank you, Madam. Madam, I would like to draw the attention of this House and the Government to the very serious situation which is prevailing in Haryana and Punjab today. For over a month now, all the advocates of the Punjab and Haryana High Court as well as the District Courts there are on an indefinite strike. The administration of justice has totally failed and been paralysed. The situation is such that the advocates now are on war-path. They are coming to Delhi to protest before Parliament. Madam, their grievance is that an advocate, Shri Khulwant Singh, along with his wife and a minor child were murdered. And you see, the allegation is that because he was defending certain militants, he was wiped out by the police. As the mother and the child were with him in the car, the car was pushed into the water along with the occupants and the whole family was killed. All the advocates are not demanding the moon. They are simply demanding a judicial probe by a sitting judge of the High Court to find out the circumstances under which the advocate and his family died.

Earlier also, Madam two advocates died under suspicious circumstances in Punjab and similar allegations were levelled against the police. Advocates have

to perform sometimes some unpleasant duties. They plead for gentlemen. They also plead for criminals and bad characters. It is their business. The Government is not treating the advocates properly. Rather they are being treated very shabbily. They were compelled to come to Delhi in their black robes to demand justice. As a matter of fact, advocates are part and parcel of the administration of justice and they should not be treated like that.

Madam, through you, I demand of the Government and appeal to Shri Balam Jakhar who is a senior Minister of the Cabinet—he comes from Haryana and Punjab—that he should prevail upon the Punjab Government, to direct a judicial enquiry into the death of the advocates, especially of Shri Kushwant Singh, his wife and his child so that the truth can come out and the culprits can be brought to book.

Thank you, Madam.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम-निर्देशित) :
महोदया, मैं इससे ऐसोसियेट करता हूँ।

श्री ईश बस यादव : (उत्तर प्रदेश): महोदया, मैं इससे ऐसोसियेट करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह अत्यंत ही गंभीर विषय है। वकील जो न्यायिक प्रक्रिया का अंग होता है उनके साथ न केवल हरियाणा में, पंजाब में बल्कि लगभग पूरे देश में पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है। उनकी पिटाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में पत्नी माचों से लेकर पांच माचों तक वकीलों ने हड़ताल की और पूरी न्यायिक प्रक्रिया ठप्प हो गई। इसलिए जो कुछ इन्होंने कहा है, महेन्द्र सिंह लाठर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि वकीलों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हरियाणा, पंजाब हाईकोर्ट और नौवे के न्यायालयों में जो हड़ताल है उसको सरकार गंभीरता से और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की

जाए और जिन लोगों ने वकील की हत्या की है उनको गिरफ्तार करके सजा दिलाने का काम किया जाए।

DETESTION OF EXPLOSIVES IN SEHORE DISTRICT OF MADHYA PRADESH

श्री कैलाश नारायण सारंग : (बिहार प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इस सदन में रोज ही बम विस्फोट या विस्फोटक सामग्री पर समाचार मिलते हैं। अभी परसों ही हमने इस सदन में बंबई विस्फोट की चर्चा की थी जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए और एक हजार से अधिक घायल अवस्था में हैं। आज प्रातः ही दूरदर्शन पर और अकाशवाणी के समाचारों में सुनने में आया है कि कलकत्ता की एक बिल्डिंग में बम विस्फोट हुआ जिसमें 32 लोगों की जाने गई हैं और अभी कुछ लाशें मलबे से निकलने की आशा है। इस तरह की घटनाएं वास्तव में शर्मनाक हैं। इनकी जितनी निन्दा की जाए बहू कम है। मुझे तो इस पर एक शेर याद आता है—

हर फूल से बारूद की बू आती है,
जैसे गंधक को जलाया गुलिस्तां ने।

महोदया, सुबह जब भोपाल से टेलीफोन पर मैं चर्चा कर रहा था तो पता चला कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अहमदपुर गांव में पुलिस ने एक ऐक्सप्लोसिव से भरा हुआ ट्रक बरामद किया है जिसमें 12 बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर के हैं। चार बक्से फ्यूज ट्रिगर के हैं, 44 बक्से जिलेटिन के हैं और अन्य ऐक्सप्लोसिव सामग्री है। इस ट्रक के साथ एक ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है जिनके नाम उस्मान यानी और अजीज खान है जो जाबरा; जिजा रतलाम के रहने वाले हैं। यह ट्रक नागपुर से रतलाम की ओर जा रहा था। महोदया, एक दिन पहले ही सीहोर में पुलिस ने कुछ ऐक्सप्लोसिव बरामद कि थे और एक व्यक्ति को भी गिरफ्त